न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–(सै0 माऊज़ बिन आसिम), (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP01895

सी0एन0आर0नम्बर–UPMO010036372026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–214/2026

विपिन पाल पुत्र सूरज पाल उम्र 30 वर्ष, निवासी लक्षमणपुरी चिड़ियाटोला लाईनपार, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा डी0जी0सी0 (फौजदारी), मुरादाबाद।

25.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त विपिन पाल की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल, श्री अजय वीर सिंह न्यायालय में उपस्थित।

2. प्रार्थी/अभियुक्त विपिन पाल की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल ने प्रार्थना पत्र कागज संख्या–3बी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिनांक 17.02.2026 को जमानत प्रदान की गयी थी एवं 75,000/–धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा फरमाने के आदेश पारित किये थे। प्रार्थी दिनांक 19.11.2025 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। प्रार्थी बेहद गरीब है एवं प्रार्थी की पत्नी अन्य लोगों के घरों में चौका–बर्तन करके अपना व बच्चों का पालन पोषण वमुश्किल कर पा रही है एवं प्रार्थी के जेल में होने के कारण जमानती दाखिल नहीं कर पा रहा है। बंदी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या संलग्न है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMWP (Cr.) No. 04/2021 INRE p0licy Strategy for grant of bail में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रार्थी की जमानत की शर्तों को शिथिल करते हुए, जमानत धनराशि कम करके एक ही जमानती पर रिहा फरमाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवालेकन किया।

4. प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमानत आदेश दिनांकित 17.02.2026 की प्रति के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त विपिन पाल की जमानत, अपराध संख्या–1049/2025, अन्तर्गत

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.25 16:44:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–352,109 (1) बी0एन0एस0, थाना–मझौला, जिला मुरादाबाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को स्वीकृत करते हुए अभियुक्त को 75,000/–(पिचहत्तर हजार रूपए) का स्वबन्धपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी की पत्नी अन्य लोगों के घरों में चौका बर्तन करके अपना व बच्चों का पालन–पोषण बमुश्किल कर रही है। प्रार्थना पत्र के साथ जिला प्रोवेशन अधिकारी की आख्या संलग्न है।

5. प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में, इस तथ्य को मददेनजर रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है और उसके परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमजोर है, न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत धनराशि कम करने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 3बी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3बी स्वीकार किया जाता है। जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–465/2026 विपिन पाल बनाम राज्य में पारित जमानत आदेश दिनांकित 17.02.2026 में वर्णित जमानत धनराशि मुवलिग 75,000/–रूपए के स्थान पर मुवलिग 50,000/–रूपए निर्धारित की जाती है तथा दो जमानती के स्थान पर एक जमानती दाखिल करने पर सत्यापन के अध्याधीन उसे रिहा किया जाये।

दिनांकः 25–03–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.NO–UP 1895